न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 03/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/16)

निर्णय दिनांकः 24-1-24

1. कमल कुमार पुत्र सुरजकरण जाति आचार्य निवासी नयाशहर थाने के पास तहसील व जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय
राजस्व अपील प्राधिकारी,बीकानेर
दिनांक 16–12–2021

उपस्थितः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 16–12–2021 जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में अर्न्तगत आदेश 47 नियम 1 व सपठित धारा 141, 155 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1986 में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर आवंटन सलाहकार समीति द्वारा प्रार्थीगण भूमि पाने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लिए सक्षम धोषित किया गया परन्तु प्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थी का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, एवं यदि कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो उसकी विधिवत तामील प्रार्थी पर नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान का सद्भावी निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र एवं भूमि की तस्दीक का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त खारिजी आदेश दिनांक 16–10–1998 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16–10–1998 पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रार्थी को जारी नहीं किया गया है, परन्तु उक्त तथ्य पत्रावली पर होते हुए भी न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी की अपील को खारिज करते हुए प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित नजरसानीधीन आदेश दिनांक 16–12–2021 स्पष्ट रूप से जोकि स्पष्ट रूप से एरर अपेरन्ट ऑफ दा रिकार्ड साबित है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16–10–1998 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, एवं केवल मात्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 16–12–2021 पारित करते हुए उक्त तमाम तथ्यों की अनेदखी किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से एरर अपेरन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऑफ दा रिकार्ड होने से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को पात्रता के अनुरूप वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने की कार्यवाही की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन कि प्रार्थी की अपील गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, जिस पर गुणावगुण पर बहस नहीं की जा सकती है। अपीलांट/प्रार्थी की अपील को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत पूर्व में प्रार्थी का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर प्रार्थी द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अपील को दिनांक 05—06—1991 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे प्रकरण में प्रार्थी को वांछित सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आदेशिका दिनांक 16—10—1998 का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16—10—1998 में अभिलिखित किया गया है कि "प्रार्थी कमल कुमार पुत्र सुरजकरण जाति आचार्य साकिन बीकानेर को श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर से भूमिहीन आवंटन पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर सुनवाई व सबूत पेश करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11—09—1998 जारी किया गया। लेकिन प्रार्थी ने उपस्थित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आक़र सबूत पेश नहीं किये है, अतः प्रार्थी का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में निरस्त किया जाता है।'' प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा भी उपरोक्त आधारों पर ही प्रार्थी की अपील को दिनांक 16—12—2021 को खारिज किया गया है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा आदेश जैर नजरसानी प्रार्थना पत्र पारित करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 11—09—1998 की तामीली की सुनिश्चतता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से की गई है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी यह तथ्य की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश दिनांक 16—10—1998 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 11—09—1998 की तामीली की सुनिश्चतता का अभाव रहा है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी/अपीलांट की अपील को इसी आधार पर यथा सबूतों के अभाव में एवं प्रार्थी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—12—2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी के भूमिहीन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में यथाशीध्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए वांछित सबूत पेश करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24/1/24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर